कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
57/2018	4.6.2018	17.8.2018

1. भगवानसिंह पुत्र छगनसिंह, गुर्जर निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
2. मुकेश पुत्र छगनसिंह, गुर्जर निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

1. लैण्ड होल्डर द्वारा तहसीलदार गंगापुर सिटी
2. पूरणसिंहपुत्र छगनसिंह, गुर्जर निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
3. रामकेशपुत्र छगनसिंह, गुर्जर निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी
4. कस्तूरी बेवा छगनसिंह, गुर्जर निवासी विदरखा तहसील गंगापुर सिटी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

श्री कृष्ण गोपाल शर्मा, एडवोकेट,अप्रार्थी नं0 2, 3, 4 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी साबिक ख0नं0 342 मिन रकबा 15 बीघा का आवंटन प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 तथा अप्रार्थी सं0 4 के पति छगनसिंह पुत्र राजहंस गुर्जर निवासी विदरखा को दिनांक 27.6.68 को हुआ। इसका नवीन नम्बर ख0नं0 1474 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 1475 रकबा 5.94 है0, ख0नं0 1483 रकबा 1.16 है0 कायम किए तथा प्रार्थीगण के पिता के साथ प्रार्थीगण के पिता के भाई चिरंजी की भूमि को एक साथ शामिल कर खातेदारी संयुक्त रूप से चिरंजी, धनसिंह पुत्रान राजहंस के नाम गलत दर्ज कर दी है क्योंकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम छगनसिंह पुत्र राजहंस था जिसे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा धनसिंह पुत्र राजहंस कर दिया जो गैरकानूनी कार्यवाही है। प्रार्थीगण को इसकी पहले कोई जानकारी नहीं थी परन्तु प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद जब नामान्तरकरण खुलवाने पटवारी के पास दिनांक 23.5.2018 को गए तो उसने बताया पहले पिता का नाम सही कराओ तभी नामान्तरकरण खुलेगा। प्रार्थीगण के पिता का सही नाम छगनसिंह पुत्र राजहंस था एवं प्रार्थीगण के पिता राजस्थान पुलिस में नौकरी करते थे। सभी सरकारी कागजात, बैंक पासबुक, राशनकार्ड, पहचान

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

पत्र, आधार कार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम सही रूप से छगनसिंह दर्ज है इसलिए राजस्व अभिलेख में भी प्रार्थीगण के पिता का नाम आवंटन आदेश में दर्ज अनुसार छगनसिंह पुत्र राजहंस दर्ज होना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम दुरूस्त किया जाकर धनसिंह पुत्र राजहंस के स्थान पर छगनसिंह पुत्र राजहंस दर्ज करने के आदेश तहसीलदार गंगापुर सिटी को दिए जावें। इसी अनुसार समस्त राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 ने अपने जबाब में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अंकित किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं0 2, 3 के पिता का सही नाम छगनसिंह पुत्र राजहंस है। राजस्व रिकार्ड में यह नाम गलत रूप से धनसिंह दर्ज कर दिया गया है। सही नाम दर्ज किए जाने में जबाबदारान को कोई आपत्ती नहीं है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल नामान्तरकरण संख्या 5 दिनांक 11.3.86, नकल मिलान क्षेत्रफल, भूमि का पट्टा दिनांक 27.6.65 की छायाप्रति, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2039, नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076, छायाप्रति सेवामुक्ति प्रमाणपत्र, छायप्रति बैंक पासबुक, छायाप्रति राशनकार्ड, छायाप्रति आधार कार्ड, शपथ पत्र मोहनलाल पुत्र मोतीलाल गुर्जर, शपथ पत्र चेतराम पुत्र रामखिलाडी गुर्जर, शपत्र पत्र कप्तान पुत्र हरदया बंजारा, शपथ पत्र भगवानसिंह पुत्र छगनसिंह गुर्जर प्रस्तुत किए हैं।

जबाब के समर्थन में अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

प्रकरण में तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई जो तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक राजस्व/18/ 2206 दिनांक 8.8.18 से प्राप्त हुई है जो पत्रावली में संलग्न है। इस रिपोर्ट के साथ तहसीलदार गंगापुर सिटी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 की प्रति, छगनसिंह के सेवामुक्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, राशनकार्ड की छायाप्रति, भामाशाह कार्ड की छायाप्रति, छगनसिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, पट्टा दिनांक 27.6.65 की छायाप्रति, नकल मिलान क्षेत्रफल की छायाप्रति, नकल खतौनी सं0 2039 की छायाप्रति, नकल नामान्तरकरण सं0 58 दिनांक 21.5.66 की

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

छायाप्रति, नकल जमाबंदी सं0 2012 से 2015 की छायाप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत बाढकलां के प्रमाण पत्र दिनांक 24.7.18 की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण ने तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती स्वीकार करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। छायाप्रति भूमि आवंटन आदेश दिनांक 27.6.65 के अनुसार छगनसिंह पुत्र राजहंस को ग्राम विदरखा के साबिक ख0नं0 342 में 15 बीघा भूमि आवंटित हुई जिसका नामान्तरकरण सं0 58 भरा गया परन्तु नामान्तरकरण में छगनसिंह पुत्र राजहंस के स्थान पर धनसिंह पुत्र राजहंस अंकित कर दिया गया एवं इसके अनुसार ही आगामी राजस्व अभिलेखो में छगनसिंह के स्थान पर धनसिंह अंकित होता रहा है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार सही नाम धनसिंह पुत्र राजहंस नहीं होकर छगनसिंह पुत्र राजहंस गुर्जर है एवं तहसीलार गंगापुर सिटी ने इसी अनुसार शुद्धि करने हेतु सिफारिश की है। इन सब दस्तावेजों से अभिलेख में प्रार्थीगण के पिता का नाम धनसिंह के स्थान पर छगनसिंह किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 लै0रे0एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट दिनांक 8.8.18 के अनुसार ख0नं0 1475 रकबा 5.94 हैक्टर, ख0नं0 1483 रकबा 1.16 है0, ख0नं0 1474 रकबा 0.05 है0 गै0मु0 आबादी ग्राम विदरखा की खातेदारी में दर्ज नाम धनसिंह पुत्र राजहंस के स्थान पर छगनसिंह पुत्र राजहंस दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इन नम्बरो में दर्ज शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को लिखा जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.8.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी